Regional office

**Rajasthan State Pollution Control Board**

Address: F-470, Near UCCI Building, M.I.A, Udaipur (Raj.)

Email : **rorpcbudaipur@gmail.com**

No. RPCB/ROU/ Legal- 102/ 1794 Date:- 18/10/24

To,
The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Central Zone Bench State Commission Bhawan,
3RD Floor, Area Hills, Bhopal-462011 (M.P.)

**Sub.:-** Regarding compliance of direction passed by Hon'ble N.G.T., Central Zone Bench, Bhopal in O.A. No. 196/2024 (CZ) (IA No. 82/2024) titled as M/s Jyoti Minerals Pvt. Ltd. V/s State of Rajasthan & Ors.

**Ref.:- Hon'ble N.G.T., Central Zone Bench, Bhopal order sheet dated 14.08.2024.**

Sir,

Apropos above, in compliance with the directions passed by Hon'ble N.G.T., Central Zone Bench, Bhopal O.A. No. 196/2024 (CZ) (IA No. 82/2024) titled as M/s Jyoti Minerals Pvt. Ltd. V/s State of Rajasthan & Ors. vide order sheet dated 14.08.2024. Joint committee report is being submitted for kind perusal please.

Yours Faithfully,

Encl: As above

**(Sharad Saksena)**

Regional Officer

Signature valid

Digitally signed by Sharad Saksena
Designation: Senior Environmental Engineer
Date: 2024.10.18 18:26:40 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11264205

**Report As per**

**Hon'ble National Green Tribunal**

**(Order dated 14August 2024)**

**IN THE MATTER OF**

**M/s Jyoti Minerals Pvt. Ltd.**
**V/s**
**State of Rajasthan &Ors.**

**In Original Application**

**No. 196/2024 (CZ) (I.A. No.82/2024)**

**Date of Visit- 17 October 2024**

**Location- Udaipur (Rajasthan)**

## ➢ **Background:-**

An application was filed by M/s Jyoti Minerals Pvt. Ltd. in Central Zone Bench, Bhopal and same was accepted By NGT as O.A. No. 196/2024. Hon'ble NGT passed an order on 14.08.2024 and constituted as Joint Committee consisting of:-

1. One Representative from the District Magistrate Udaipur (Rajasthan)
2. The District Forest Officer, Udaipur (Rajasthan)
3. One Representative from the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, (Rajasthan)

The Committee was directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks.

On examination of writ it was found that the main content of the writ is related to widening of the road which starts from Badi road to Rani road through Shilp gram in village HawalaKhurd, Udaipur. The area falls under eco sensitive zone Sajjangarh.

The team of Additional District Collector (Administration), District Forest Officer (North)and Regional Officer, Pollution Control Board, was visited the site on and observations during visit were as under:-

**Observations during visit**:-

1. During visit no road widening work or tree cutting work was going on/ also no sign of same in recent past visually observed.

Latitude: 24.612892
Longitude: 73.66466
Elevation: 624.0±27 m
Accuracy: 6.6 m
Time: 10-17-2024 11:37
Note: jyoti mineral
Powered by NoteCam

Latitude: 24.612854
Longitude: 73.664716
Elevation: 620.9±17 m
Accuracy: 5.3 m
Time: 10-17-2024 11:37
Note: jyoti mineral
Powered by NoteCam

Latitude: 24.614806
Longitude: 73.667626
Elevation: 632.5±18 m
Accuracy: 7.3 m
Time: 10-17-2024 11:35
Note: jyoti mineral
Powered by NoteCam

2. After discussion with Udaipur Development Authority, Officers it has come to knowledge that a General meeting of Udaipur Development Authority was conducted on 26.06.2024 (Copy enclosed as annexure-I) and on agenda no. 11 widening & restrengthning of 80 feet toad from Badi main road to Rani road it was decided that:-
बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में इको सेंसिटिव मॉनिटरिंग कमेटी में लिए गए निर्णय के दृष्टिगत तथा वर्तमान में उक्त सड़क मार्ग पर अधिक यातायात दबाव नहीं होने से सड़क की सम्पूर्ण लम्बाई में विस्तारीकरण के बजाय जहाँ– जहाँ भी उक्त मार्ग पर बॉटलनेक की स्थिति बन रही है ऐसे भाग में बॉटलनेक के विस्तारीकरण हेतु खातेदारों की भूमि अधिग्रहित कर सड़क निर्माण की कार्यवाही की जावें।

**Recommendations**:-

It is evident from the above that UDA approved road widening works only where bottle necks are present and hence it should be mandatorily directed to them that while considering the matter of road widening work where bottle necks are present a specific condition shall be imposed that that during road widening work no trees will be cut and it shall be monitored through video recording of the area prior to the work to ensure the same.

(Sharad Saksena)
Regional Officer,
RSPCB, Udaipur

(Ajay Chittora)
District Conservator
of Forest (North),
Udaipur

(Dipendra Singh Rathor)
Additional
District Collector,
Udaipur

Annexure- I

# कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

## उदयपुर विकास प्राधिकरण की सामान्य बैठक दिनांक 26-06-2024 का कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की सामान्य बैठक दिनांक 26-06-2024 को श्री राजेन्द्र भट्ट, संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

| | | |
|---|---|---|
| 1- | श्री गोविन्द सिंह टांक, महापौर, नगर निगम, उदयपुर | - सदस्य |
| 2- | श्री अरविन्द पोसवाल, जिला कलक्टर, उदयपुर | - सदस्य |
| 3- | श्री राहुल जैन, आयुक्त एवं सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर | - सदस्य सचिव |
| 4- | श्री अशोक शर्मा, अति. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर | - सदस्य |
| 5- | श्री अरविन्द सिंह कानावत, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर | -- सदस्य |

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री जितेन्द्र ओझा, विशेषाधिकारी, सुश्री बिन्दुबाला राजावत, भूमि अवाप्ति अधिकारी, श्री संजीव शर्मा, अति. मुख्य अभियंता, श्री दलपत सिंह राठौड, मुख्य लेखाधिकारी, श्री अनित माथुर, अधीक्षण अभियंता, श्री अनुपम शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक श्री दाऊ दयाल शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, श्री चांद कुमार पालीवाल, उप विधि परामर्शी, डॉ. अभिनव शर्मा, तहसीलदार, प्राधिकरण एवं श्री विनय सोमपुरा, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उदयपुर उपस्थित थे।

सर्वप्रथम आयुक्त एवं सचिव, प्राधिकरण ने अध्यक्ष महोदय, सदस्यों एवं उपस्थित अधिकारियों का बैठक में स्वागत किया, तदुपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा/विचार विमर्श के उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

1- **<u>प्राधिकरण के आय व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24 के अनुमोदन के कम में।</u>**

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर का आय-व्यय अनुमान वर्ष 2024-25 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



Scanned with OKEN Scanner

10- **पुलिस कन्ट्रोल रूम (अभय कमाण्ड सेन्टर) के तहत सी.सी.टी.वी. कैमरा की मरम्मत एवं नये सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना बाबत् ।**

पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के पत्र क्रमांक 1635, दिनांक 14-06-2024 के आधार पर कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 14-06-2024 में लिये गये प्रस्तावानुसार विभिन्न सड़क निर्माण एवं अन्य कार्यो के दौरान अभय कमाण्ड सेन्टर के लगभग 125 सी.सी.टी.वी. कैमरों की फाइबर केबल कटने से कैमरे बन्द है। उक्त कार्य के संबंधित फर्म द्वारा रखरखाव की अवधि समाप्त हो जाने के कारण उक्त कैमरों की केबल मरम्मत नहीं हो पा रही है। जिससे कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही शहर के प्राधिकरण क्षेत्र के पुलिस थानों में जहाँ पर कानून व्यवस्था बनाये रखने व पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक पुलिस थाना क्षेत्र हेतु 20-20 सी.सी.टी.वी. कैमरों का सेट-अप मय मॉनिटर एक माह की स्टोरेज क्षमता के साथ लगाये जाने हेतु बजट उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त निवेदन के क्रम में राशि रू. 294.00 लाख की राशि हस्तान्तरण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव साधारण सभा में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय :-** **बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से पुलिस कन्ट्रोल रूम (अभय कमाण्ड सेन्टर) के तहत प्राधिकरण क्षेत्र के पुलिस थाना क्षेत्र में नये 20-20 सी.सी.टी.वी. कैमरों का सेट-अप मय मॉनिटर जिनकी लोकेशन व कैमरों के स्पेसिफिकेशन पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा प्राधिकरण द्वारा उपापन कर पुलिस विभाग के निर्देशानुसार स्थापना करवा दी जायेगी, जिसका संधारण वारण्टी अवधि तक संबंधित वेण्डर के द्वारा किया जायेगा एवं तत्पश्चात् इनका संधारण पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु राशि रू. 294.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**

**(उत्तरदायित्व :- अधिशाषी अभियंता - विद्युत)**

11– **Widening & Restrengthening of 80 feet Shilpgram road from Badi main road to Rani road.**

शहर के सुनियोजित विकास में रोड़ नेटवर्क का विकास एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रक्रिया है। उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा भी उदयपुर शहर हेतु स्वीकृत रोड़ नेटवर्क अनुसार सड़क निर्माण का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। इसी क्रम में फतहसागर के पश्चिम दिशा में राजस्व ग्राम हवाला खुर्द में स्थित पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बड़ी रोड़ से शिल्पग्राम होते हुए रानी रोड़ तक लगभग 2.00



Scanned with OKEN Scanner

किलोमीटर लम्बाई में रोड़ नेटवर्क अनुसार 80 फीट सड़क स्वीकृत है। उक्त सड़क निर्माण के अन्तर्गत तत्कालीन न्यास द्वारा लगभग 2.00 किलोमीटर लम्बाई में सड़क निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में स्थित सड़क जो कि 4.00 से 7.00 मीटर चौड़ी है इसका सुदृढीकरण के साथ चौड़ाई बढ़ाई जाकर सड़क के मध्य मीडीयन (Kerb Stone) लगाये जाकर Carriageway को Left Side Carriageway 7.50 मीटर व फुटपाथ 1.20 मीटर एवं Right Side Carriageway 7.50 मीटर व फुटपाथ 1.20 मीटर (कुल 17.40 मीटर चौड़ाई) कुल 2.00 किलोमीटर की लम्बाई में विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सड़क उदयपुर शहर की महत्वपूर्ण सड़क होकर पर्यटन स्थल शिल्पग्राम को शहर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बड़ी तालाब, फतहसागर झील को जोड़ने वाली सड़क है एवं इसी सड़क के ईर्द-गिर्द तत्कालीन न्यास द्वारा रूपान्तरण भी किया गया है एवं साथ ही उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, संस्थाओं को आवंटित भूमि, पुलिस अन्वेषण भवन, बड़ी तालाब, फतहसागर तथा हवाला, बड़ी, वरड़ा गांव, नाथावतों का गुड़ा इत्यादि गांवो को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है।

उक्त सड़क के निर्माण से यातायात सुगम होने के साथ शिल्पग्राम, उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, संस्थाओं आशाधाम, पुलिस अन्वेषण भवन, बड़ी तालाब, फतहसागर, एनिमल ऐड, परिधीय क्षेत्र के रहवासियों के साथ-साथ देशी-विदेशी पर्यटक लाभान्वित होंगे। उक्त सड़क विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य पर राशि रू. 770.10 लाख का व्यय अनुमानित है।

उक्त प्रकरण तत्कालीन न्यास सामान्य बैठक दिनांक 07-02-2023 में रखा गया जिसमें बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बड़ी मुख्य सड़क से रानी रोड़ तक 80 फीट शिल्पग्राम रोड़ का विस्तारिकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु राशि रु. 770.10 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण तत्कालीन न्यास की अनुशंषा सहित राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। तत्कालीन न्यास सामान्य बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार तत्कालीन न्यास द्वारा पत्र क्रमांक F-14(42)Engg./EE-IV/2023/2074 दिनांक 17-03-2023 को राशि रु. 770.10 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण तत्कालीन न्यास की अनुशंषा सहित राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। इस क्रम में राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.(16)नविवि/1/2023 जयपुर दिनांक 18-04-2023 द्वारा राशि रु. 770.10 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

**तद्नुसार कार्य का तकनीकी प्रस्ताव सक्षम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु तत्कालीन न्यास के समक्ष घूमचक्र प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन न्यास अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव को ईको संसेटिव मॉनिटरिंग कमेटी में Re-Consider किये जाने हेतु रखे जाने के**



Scanned with OKEN Scanner

**निर्देश प्रदान किये गये है।** मौके पर सड़क मार्गाधिकार में आ रहे निर्माण एवं भूमि का अवाप्ति प्रकरण राज्य सरकार के स्तर से स्वीकृत होकर मुआवजा राशि की कार्यवाही भूमि अवाप्ति शाखा के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

अतः उक्त प्रस्ताव को ईको सेंसेटिव मॉनिटरिंग कमेटी में Re-Consider हेतु भेजे जाने बाबत् प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है ताकि तद्नुसार सड़क निर्माण कार्य की सक्षम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाकर निविदा संबंधित कार्यवाही की जा सके।

**निर्णय :-** **बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में ईको संसेटिव मॉनिटरिंग कमेटी में लिये गये निर्णय के दृष्टिगत तथा वर्तमान में उक्त सड़क मार्ग पर अधिक यातायात दबाव नहीं होने से सडक की सम्पूर्ण लम्बाई में विस्ताकिरण के बजाय जहॉ-जहॉ भी उक्त मार्ग पर बोटलनेक की स्थिति बन रही है ऐसे भाग में बोटलनेक के विस्तारिकरण हेतु खातेदारों की भूमि अधिग्रहित कर सड़क निर्माण की कार्यवाही की जावें।**

**(उत्तरदायित्व :- अधिशाषी अभियंता - चतुर्थ)**

12— **कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर को राजस्व ग्राम भुवाणा में स्थित चित्रकूट नगर के खसरा नं. 4206,4207 एवं 4217 में स्थित श्याम नगर ब्लॉक बी में क्षेत्रफल 2640.57 वर्गमीटर निःशुल्क आवंटित भूमि पर प्रशासनिक भवन भूतल + दो तल के निर्माण हेतु राशि 378.00 लाख वहन/स्वीकृत करने एवं कार्यकारी ऐजेन्सी निर्धारित करने बाबत।**

राजस्व ग्राम भुवाणा में स्थित चित्रकूट नगर में प्राधिकरण द्वारा कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज उदयपुर को निःशुल्क भूमि आंवटित की गई। जिस पर प्रशासनिक भवन के भूतल + दो तल निर्माण हेतु राशि रू. 321.00 लाख एवं अतिरिक्त आईटम हेतु राशि रू. 30.00 लाख रूपये, इस प्रकार कुल राशि रू. 351.00 लाख वहन करने हेतु कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज उदयपुर द्धारा पत्रांक 623-24 दिनाक 06-06-2024 से प्राधिकरण कार्यालय को पत्र भिजवाया गया था।

उक्त प्रस्तावित महानिरीक्षक पुलिस कार्यालय के प्रशासनिक भवन भूतल + दो तल के मूल निर्माण राशि रु. 270.00 लाख के साथ ही Electric



Scanned with OKEN Scanner

प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध खनन में उपरोक्त वाहन के दुबारा इस्तेमाल में पाये जाने पर उक्त शास्ति के दुबारा आरोपित किये जाने के साथ ही संबंधित वाहन के रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने हेतु परिवहन विभाग में प्रकरण प्रेषित कर दिया जायेगा ।

अत: प्रकरण प्राधिकरण की सामान्य बैठक में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :- **बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण एवं पहाडी खुदाई में जब्त वाहनों/औजारों को उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा आरोपित की जाने वाली शास्ति की दर संशोधित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

(उत्तरदायित्व :- तहसीलदार)

2- **प्राधिकरण क्षेत्र की विकसित कॉलोनियों को नगर निगम, उदयपुर को हस्तांतरित करने के संबंध में।**

नगर निगम, उदयपुर के महापौर महोदय ने प्राधिकरण क्षेत्र की विकसित कॉलोनियों को नगर निगम, उदयपुर को हस्तांतरित करने के बिन्दु पर चर्चा की, जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त, प्राधिकरण ने अवगत कराया कि जो कॉलोनियाँ नगर निगम के वार्डो की सीमा में हैं, उनका सर्वे करवाकर यदि उनमें बसावट 85 प्रतिशत से अधिक पाई गई तो उन कॉलोनियों में नीलामी से शेष रहे भूखण्डों की नीलामी 2 माह में पूर्ण कर उन कॉलोनियों को नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद सम्पन्न घोषित की गई।

(राजेन्द्र भट्ट)
**संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष**
**उदयपुर विकास प्राधिकरण,**
**उदयपुर**

(राहुल जैन) I.A.S.
आयुक्त,
उदयपुर विकास प्राधिकरण,
उदयपुर

**क्रमांक :- F.5 (1 )Gen/Meeting/2024/** 11 **दिनांक:-** 28.06.2024

**प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-**

1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।

2- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।



Scanned with OKEN Scanner